राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83–III/अलेसे–II/7354-61 दिनांक :–23.04.2012

कार्यालय आदेश संख्या 01./2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों, जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी. पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4800 स्वीकृत किया जाता है :–

क्र. स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	ओम नारायण व्यास	03-07-1957	29-08-1984	29-08-2011	
2.	नन्दलाल धनवानी	09-11-1960	22-08-1984	22-08-2011	
3.	आसू सिंह पुरोहित	11-12-1962	27-08-1984	27-08-2011	
4.	राजकुमार शर्मा	05-05-1960	21-08-1984	21-08-2011	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी. पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 1, 3, से 4 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य– मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है तथा वित्त विभाग के आदेश एफ. 20(1)एफडी(ग्रुप–2)/92Pt.IV(आर.एस.आर.–3/95) दिनांक 16.02.1995 के अनुसार दिनांक 25.01.1992 एवं इसके पश्चात् किसी भी लेखाकार द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नही कराया गया है इसकी भी सुनिश्चितता आवश्यक रूप से करली जावे उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थिरीकरण के समय आदेश में अंकिता किया जाना सुनिशचित किया जावें।

20/4/2012

निदेशक

क्रमांक :– एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83–III/अलेसे–II/7357–61 दिनांक:–23.04.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..
2. श्री..लेखाकार, कार्यालय..
....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक– I)